संख्या: 2/2016/ 180/61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 09मार्च, 2016

विषय: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए सृजित कम्प्यूटर आपरेटर-कम -सुपरवाइजर के एक अस्थाई पद की निरन्तरता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 181/61-2015, दिनांक 10 मार्च 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या -7735/17-ए-1-361/1-96, दिनांक 17 सितम्बर, 1998 द्वारा सृजित कम्प्यूटर आपरेटर-कम-सुपरवाइजर (वेतनमान 5000-8000 में) के एक अस्थाई पद की दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक की निरन्तरता की सवीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि उक्त पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से न करके विभाग के ही किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जायेगी तथा विभागीय कर्मचारी के रिक्त पद पर नई नियुक्ति नहीं की जायेगी।

3- उक्त पद के पदधारक को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-41 के अधीन लेखाशीर्षक-"2015-निर्वाचन-आयोजनेतर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय" के अधीन सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: ए-2-2574/दस-90 -24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में प्राप्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

संख्या: 2/2016/ 180(1)/61-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (प्रथम), उत्तर प्रदेश उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रधान महालेखाकार, (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -12
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 उपाध्याय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।